# कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813


पत्रांक : 01 / यो0बजट–33 / 2018– 1177 दिनांक : 18.09.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल / खूँटी वन प्रमंडल / गुमला वन प्रमंडल / सिमडेगा वन प्रमंडल / लोहरदगा वन प्रमंडल / जमशेदपुर वन प्रमंडल / सरायकेला वन प्रमंडल / चाईबासा वन प्रमंडल / सारण्डा वन प्रमंडल / पोड़ाहाट वन प्रमंडल / कोल्हान वन प्रमंडल / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल / कोडरमा वन प्रमंडल / चतरा उत्तरी वन प्रमंडल / चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल / बोकारो वन प्रमंडल / रामगढ़ वन प्रमंडल / धनबाद वन प्रमंडल / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल / दुमका वन प्रमंडल / गोड्डा वन प्रमंडल / साहेबगंज वन प्रमंडल / पाकुड़ वन प्रमंडल / जामताड़ा वन प्रमंडल / देवघर वन प्रमंडल / मेदिनीनगर वन प्रमंडल / गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल / लातेहार वन प्रमंडल

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्राकृतिक पर्व करम महोत्सव के आयोजन हेतु कुल **रू0 9.300 लाख (नौ लाख तीस हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंगः–** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0बजट–24 / 2018–02 / स्वी0 व0प0 दिनांक 02.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–24 / 2018– 48 / आ0 व0प0 दिनांक 03.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–60 "प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 9.300 लाख (नौ लाख तीस हजार रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| विज्ञापन एवं प्रचार | 19S240601101600328 | 9.300 |
| कुल :– | | **9.300** |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

3. यह राशि प्रमण्डलों में ग्राम वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से प्राकृति पर्व करम महोत्सव पर व्यय हेतु उप आवंटित की जा रही है। प्रत्येक ग्राम वन प्रबंधन समिति में किये जाने वाले आयोजन पर अधिकतम 6000/–रू0 (छः हजार रूपये) तक व्यय किया जा सकता है। प्रत्येक प्रक्षेत्र में करम महोत्सव मनाने हेतु समिति के चयन का निर्णय वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा। अगर किसी स्थल पर अधिक राशि व्यय होती है, तो उसके लिए राशि की माँग की जा सकती है।

4. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101600328 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्यन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमिति निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृति राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

**13.** इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

**14.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**15.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–33 / 2018–** 1177 दिनांक– 18.09.2018

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / हजारीबाग / जमशेदपुर / बोकारो / दुमका / पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / गुमला / हजारीबाग / चतरा / जमशेदपुर / चाईबासा / बोकारो / गिरिडीह / दुमका / देवघर / मेदिनीनगर / गढ़वा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–33 / 2018–** 1177 दिनांक– 18.09.2018

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / खूँटी / हजारीबाग / चतरा / कोडरमा / चाईबासा / जमशेदपुर / सरायकेला–खरसावां / बोकारो / रामगढ़ / धनबाद / गिरिडीह / दुमका / देवघर / जामताड़ा / साहेबगंज / पाकुड़ / गोड्डा / मेदिनीनगर / गढ़वा / लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची